झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2013 के छात्रों के पंजीयन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 79/2012

एतद् द्वारा संबंधित सभी कोटि के महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा, 2013 के छात्रों के पंजीयन का संशोधन Online एवं Offline दोनों तरीकों से कराने का निर्णय परिषद् द्वारा लिया गया है।

Offline Mode में संशोधन की प्रक्रिया निम्नवत है:-

इंटरमीडिएट सत्र 2011–13 के सूचीकृत छात्र/छात्राओं की कम्प्यूटरीकृत समेकित सूची दिनांक 24.09.2012 से 25.09.2012 तक संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्य या उनके द्वारा प्राधिकृत विशेष दूत परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लें। उक्त सूची में सभी प्रकार की त्रुटियाँ यथा छात्र/छात्रा का नाम, उनके माता–पिता का नाम, पाठ्यक्रम के अनुसार चयनित विषय आदि के निराकरण हेतु संबंधित प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है। संशोधित समेकित सूची प्राचार्य के हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 09.10.2012 तक परिषद् कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निर्धारित तिथि के बाद संशोधित समेकित सूची प्राप्त होने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और इसके लिए संबंधित संस्था के प्राचार्य सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। संशोधन लाल स्याही वाले बॉल पेन से ही किया जायेगा।

(1)विषय के संशोधन में ध्यान रहे कि जो छात्र कोर विषय के रूप में अंग्रेजी रखते हैं, वे ऐच्छिक(Elective)अथवा अतिरिक्त(Additional)विषय के रूप में अंग्रेजी नहीं रखेंगे। उसी प्रकार कोर विषय हिन्दी 'A' रखने पर हिन्दी को ही ऐच्छिक (Elective)अथवा अतिरिक्ति (Additional) विषय में नहीं रखेंगे। अगर ऐसा हुआ हो तो संबंधित प्राचार्य उसका सुधार कर लेंगे ताकि संबंधित छात्र का परीक्षाफल प्रभावित नहीं हो।

(2)विषयों का चयन पाठ्यक्रम के अनुसार ही अनिवार्य रूप से किया जाय।

(3)सूचीकरण में अंकित विवरणी ही परीक्षा के लिये मान्य होगी। अतएव सूचीकरण के Check-List में संशोधन के समय पूर्ण सतर्कता बरती जाय।

संबंधित प्राचार्य से अनुरोध है कि समेकित सूची में कोई त्रुटि हो तो उसे निश्चित रूप से सुधार कर लेंगे। ऐसा नहीं करने पर अगर परीक्षाफल प्रभावित होता है अथवा परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त पंजीयन, अंकपत्र, प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि में त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिये संबंधित प्राचार्य उत्तरदायी होंगे।

संथाल परगना प्रमण्डल के महाविद्यालय परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के महाविद्यालय परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से उक्त तिथि को अपने महाविद्यालय की समेकित सूची प्राप्त कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे।

On-line Mode में संशोधन की प्रक्रिया निम्नवत है:-

(1)दिनांक 25.09.2012 से परिषद् के वेबसाईट www.jac.nic.in पर सभी संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय के छात्र/छात्राओं के पंजीयन की विवरणी संशोधन हेतु उपलब्ध रहेगी। छात्र/छात्रा अपने पंजीयन से संबंधित विवरणी अवलोकन कर सकते हैं। यदि वे कोई त्रुटि पाते हैं तो उस विवरणी का Print-out निकाल कर प्राचार्य को संशोधन हेतु दिनांक 05.10.2012 तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

(2)वेबसाइट पर संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिनांक 09.10.2012 तक पंजीयन से संबंधित त्रुटियों का निराकरण किया जा सकता है। दिनांक 10.10.2012 से उक्त संशोधन की प्रक्रिया समाप्त कर दी जायेगी।

(3)सभी संबंधित प्राचार्यो से अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय/+2 विद्यालय का ई–मेल आई.डी.जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 29.09.2012 या इससे पूर्व परिषद् कार्यालय में उपलब्ध करा दें। ई–मेल आई.डी. प्राप्त होने के उपरान्त ही एक Password भेजा जा सकेगा। परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in में उपलब्ध Registration Window के माध्यम से अपने महाविद्यालय/+2 विद्यालय के कोड एवं उपलब्ध कराए गए Password के द्वारा Log-in करेंगे। तत्पश्चात् अपने महाविद्यालय/+2 विद्यालय से संबंधित पंजीयन की विवरणी में वांछित संशोधन कर सकेंगे। कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter/गोपनीय/19644/12/
SECY/469/12, Dt. 19.09.2012
D.O.P : 20.09.2012